

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1  
(for linear projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No--- 601/XXIV-ALC-II

Dated---13.8.2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.225** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Sansman** village (s) in **Pawakidevi** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.225** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(I)** to annexure **(IX)** the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: **As above.**

By  
N.T.D.  
उप जिलाधिकारी  
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

Signature  
(Full name and official capacity of the District Collector)  
जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल



प्रारूप-30.1

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Mangesh Ghildiyal** I.A.S deputy commissioner **Tehri Garhwal** on dated **13.8.2020** at time .....at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring **1.225** hect for the construction of **Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; **N.T.T.**:.....

Dated: **13.8.2020**

  
Deputy Commissioner-**Chairman**  
District Level Committee

**जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल**

  
**N.T.T.**

(2)

Encl.-01

It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58, Length 4.750Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.225 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य  
टिहरी गढ़वाल

*Suman*  
सुमन पुण्डरीर

सदस्य, जिला पंचायत  
45 बंगला, टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वन्यधिकारी

सुपुर्न सराफ  
जिला वन प्रभाग  
मुनि पोस्ता (वि.मठ)  
उमरगढ़

*myh*

Signature

(Full name and official designation of the District collector)

जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

*A*  
N.T.P  
उप जिलाधिकारी  
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक-

दिनांक-

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु (1.225 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.225 हे0 वन भूमि) का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 30.11.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक युक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1- | युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर                        | -अध्यक्ष    |
| 2- | श्री डी0पी0 बलूनी उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग            | -सदस्य      |
| 3- | श्री राहुल प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर | -सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री तेजपाल सिंह राणाबी0डी0सी0 क्षेत्र गंगलसी                | -सदस्य      |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.225 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 1.225 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।




प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक 30.01.2020 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	युक्ता मिश्र	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	 30/01/2020
2	श्री डी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती	
3	श्री राहुल प्रताप सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	
4	श्री तेजपाल सिंह राणा	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगलसी	 सदस्य क्षेत्र पंचायत-बडीर दागा ड० [Signature] दि० [Blank] उप-खण्ड नरेन्द्र नगर (टि.ग.)



प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम संसमण  
तहसील पावकीदेवी, जिला टिहरी गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (1.225 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00हे0 सिविल सोयम भूमि हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 1.225हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत संसमण द्वारा दिनांक 04.01.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत संसमण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित



हरिन्द्र सिंह कवसूड़ी

ग्राम प्रधान

मो: 9837035458, 9759637123

ॐ नमः शिवाय ॐ

ग्राम पंचायत संसमण

पोस्ट ऑफिस-कौड़ियाला

विकासखण्ड-नरेन्द्रनगर

जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

पत्रांक : .....

दिनांक : .....

सेवामे,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग  
नरेन्द्रनगर।

विषय :- संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु किये गये सर्वे के सम्बन्ध मे।

महोदय,

निवेदन करना है कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु माह- मई/2019 मे लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जो सर्वे कार्य किया गया है उस संमरेखण से हमारी ग्राम सभा पूर्ण रूप से सहमत है तथा मार्ग को शीर्घ निर्माण करने हेतु लोक निर्माण विभाग से अपेक्षा करती है, ताकि स्थानीय जनता को शासन की द्वारा स्वीकृत इस मार्ग का लाभ जल्दी से जल्दी मिल सके।



सेवामे,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग  
नरेन्द्रनगर।

विषय :- संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु किये गये सर्वे के सम्बन्ध मे।

महोदय,

निवेदन करना है कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु माह- मई/2019 मे लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जो सर्वे कार्य किया गया है हम समस्त ग्रामवासी इस संमरेखण से सहमत है तथा यदि हमारी कृषि भूमि मार्ग निर्माण के लिये विभाग को आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे मार्ग निर्माण हेतु सरकारी दरों पर विभाग को देने के लिये तैयार हैं ताकि जन हित मे मार्ग निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके। है, ताकि स्थानीय जनता को शासन की द्वारा स्वीकृत इस मार्ग का लाभ जल्दी से जल्दी मिल सके।

1) श्रीमती देवी शरिका धन्यवाद।  
2) सुरेश सिंह  
3) अमित सिंह  
4) पद्मा देवी  
5) सुरेश सिंह  
6) अजीत सिंह  
7) आदेश सिंह

शरिका  
Amil Singh  
पद्मा  
सुरेश सिंह  
अजीत सिंह  
आदेश

समस्त ग्रामवासी  
ग्राम संसमण।



8	सूर्यकांत सिंह	-	सूर्यकांत सिंह
9	सुलताब सिंह	-	सुलतानासिंह
10	अल्कादेवी	-	अल्का देवी
11	दीवान सिंह लक्ष्मण सिंह	-	दीवान सिंह
12		-	लक्ष्मण
13	कृष्ण सिंह	-	कृष्ण
14	राय सिंह	-	राय सिंह
15	दीपक सिंह	-	दीपक सिंह
16	प्रभाकर सिंह	-	प्रभाकर
17	भगवत सिंह	-	भगवत सिंह
18	सिपाल सिंह	-	सिपाल
19	विजय सिंह	-	विजय
20	गुलाब सिंह	-	गुलाब सिंह
21	नूरुद्दीन सिंह	-	नूरुद्दीन
22	अस्मानासिंह	-	अस्मान
23	मालासिंह	-	मालासिंह
24	बलकान्त सिंह	-	बलकान्त
25	कमान सिंह	-	कमानासिंह
26	दयाल सिंह	-	दयालसिंह
27	जगदीश सिंह	-	जगदीशसिंह
28	अमेर सिंह	-	अमेर
29	धीरेन्द्र सिंह	-	धीरेन्द्र
30	धुन्धवसिंह	-	धुन्धवसिंह
31	पानभासिंह	-	पानभासिंह
32		-	
33		-	
34		-	
35		-	

परियोजना का नाम:-



जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04.01.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

## ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	पुन्धर सिंह	पुन्धर सिंह
2.	विजेन्द्र सिंह	विजेन्द्र सिंह
3.	हिमत्त सिंह	हिमत्त सिंह
4.	कान सिंह	KAN SINGH
5.	सरत सिंह	सरत सिंह
6.	कौशिल्या देवी	कौशिल्या देवी
7.	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
8.	देवकी देवी	देवकी देवी
9.	सती देवी	सती देवी
10.	भागवती देवी	भागवती देवी
11.	गरीमा	गरीमा
12.	बल्लु सिंह	बल्लु सिंह
13.	धनेश्वरी देवी	धनेश्वरी देवी
14.	दधाराश	दधाराश

ग्राम प्रधान





प्रारूप-30.4

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।


दिनांक 04.01.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
15.	पूजा देवी	पूजा
16.	अंजू देवी	अंजू
17.	काजल देवी	काजल
18.	काजल देवी	पूनम देवी
19.	दामियान सिंह	Damian Singh
20.	पीती	
21.	सुहवीर मुकेश सिंह	Bireti
22.	सुहवीर सिंह	Mullesh
23.	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
24.	पिंकी देवी सदस्य शाब्दिक	पिंकी
25.	रजनी	रजनी
26.	अमन सिंह	अमन
27.	दीपिका	दीपिका
28.	मीनिका	मीनिका



ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04.01.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
29.	करीना	करीना
30.	मदन सिंह	मदन सिंह
31.	शैलज सिंह	शैलज सिंह
32.	सुजलज सिंह	सुजलज सिंह
33.	कृष्णलाल	कृष्णलाल
34.	सतपाल सिंह	सतपाल सिंह
35.	सन्दीप	सन्दीप
36.	शुभचन्द	शुभचन्द
37.	दिपाल सिंह	दिपाल सिंह
38.	हरेश सिंह	हरेश सिंह
39.	विरेश सिंह	विरेश सिंह
40.	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
41.	सुभ्रमल सिंह	सुभ्रमल सिंह
42.	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह

सदस्य क्षेत्र पंचायत-बडौर  
 80  
 दि.  
 2  
 2020

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत-बडौर  
 सी. नम  
 दिनांक  
 2020

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04.01.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
43.	वीर सिंह	वीर सिंह
44.	अशोक देवी	अशोक देवी
45.	सावित्री देवी	सावित्री देवी
46.	नरेश सिंह	नरेश सिंह
47.	सुल्तान सिंह	सुल्तान सिंह
48.	माल सिंह	Malsingh
49.	भरत सिंह	भरत सिंह
50.	मदो ग्री देवी	मदो ग्री देवी
51.	दीपक सिंह	दीपक सिंह
52.	सत्येवरी देवी	सत्येवरी देवी
53.	विमला देवी	विमला देवी
54.	दलवीर सिंह	दलवीर
55.	ओम्कार सिंह	ओम्कार सिंह
56.	गव्वर सिंह	गव्वर सिंह

